नियम 21 : अपील के प्ररूप के साथ अपेक्षित दस्तावेज

(1) अपील अधिकरण द्वारा सुनवाई के लिए अपेक्षित प्रत्येक अपील प्ररूप के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध अपील के मामले में उस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी, जिसके विरूद्ध अपील की गई है और जहां ऐसा आदेश अपील या पुनरीक्षण में पारित किया गया है, वहां मूल प्राधिकारी के आदेश के साथ अपील या पुनरीक्षण में पारित आदेश की प्रमाणित प्रति तथा सभी सुसंगत दस्तावेज, जिनमें निर्भर किए गए दस्तावेज भी सम्मिलित हैं, होंगे;

परंतु जहां आयुक्त के निदेश के अधीन आवेदन फाईल किया गया हो, वहां जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रति प्रमाणित प्रति के बजाए सत्यापित प्रति होगी।

(2) जिस विनिश्चय या आदेश के विरूद्ध अपील की गई है उसकी प्रमाणित प्रति, नियम 110 के उप–नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी और जीएसटीएटी पोर्टल द्वारा नियमों की अंतिम पावती जारी की जाएगी।

(3) अध्यक्ष यह भी निदेश दे सकेगा कि इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को फाईल न करने की स्थिति में रजिस्ट्रार या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या दस्तावेजों के सेट को वापस करने के लिए सक्षम होगा और उन्हें रजिस्ट्रार या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी या न्यायपीठ की संतुष्टि के अनुसार त्रृटियों को ठीक करने के पश्चात ही वापस प्राप्त करेगा और वापसी पर मामले को एक नया नंबर दिया जा सकेगा।

(4) अपील अधिकरण स्वप्रेरणा से अपीलार्थी या प्रत्यर्थी द्वारा तथा उसके खर्चें पर, उन सभी सुसंगत दस्तावेजों की, जितनी अपेक्षित हो, उतनी प्रतियां तैयार करने का निदेश दे सकेगा, जिनमें ऐसे कथनों, पत्रों या दस्तावेजों की प्रतियां अंतर्विष्ट होंगी, जिन्हें वह अपील के उचित निपटान के लिए आवश्यक समझे;

(5) अध्यक्ष, अपील या आवेदन के साथ फाईल किए गए दस्तावेजों को या सुसंगत दस्तावेजों के भाग के रूप में, जिसके अधीन विश्वसनीय दस्तावेज भी है, या अन्यथा, किसी राजपत्रित अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे अध्यक्ष द्वारा ऐसे दस्तावेजों या उनकी फोटो प्रतियों को प्रमाणित या सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, सत्यापन की अनुमति सामान्य या विशंष आदेश द्वारा दे सकेगा; और

(6) सभी सुसंगत दस्तावेज, जिनमें विश्वसनीय दस्तावेज भी सम्मितिल हैं, स्पष्ट रूप से सुपाठय, सम्यक रूप से पृष्ठांकित, अनुक्रमित और मजबूती से टैग किए जाने चाहिए।

www.cggst.com